

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।  
क्रमांक : ई/संस्था./स्थाईकरण-ए.टू.जी./2023/227

दिनांक : 5/9/2023

कार्यालय आदेश

निम्नांकित चिकित्सा अधिकारी जो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर से चयनित है को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ() /डीओपी/ए-11/86 दिनांक 06.09.2011 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को एक वर्ष का प्रोबेशन काल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की रनिंग पे बैण्ड 15600-39100 में ग्रेड पे 5400/- लेवल इन पे मैट्रिक एल-14 स्वीकृत की जाती है :-

क्र०स०	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि	स्थाईकरण तिथि
01	डॉ० प्रवेश व्यास चि०अ०	19.10.19799	23.03.2022	22.03.2023

निदेशक (जन स्वा०)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/संस्था./स्थाईकरण-ए.टू.जी./2023/227

दिनांक : 5/9/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर
2. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन ।
3. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
4. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
5. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ।
6. अति० प्रशासनिक अधिकारी एटीसी राजपत्रित मुख्यालय ।
7. प्रभारी सर्वर रूम को भजकर लेख है कि आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करे ।
8. गोपनीय अनुभाग (राजपत्रित) मुख्यालय ।
9. संबन्धित चिकित्सा अधिकारी द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी
10. निजी/रक्षित पत्रावली ।

निदेशक (जन स्वा०)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।